The question was put and the motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Now we take up the Enacting Formula. There is one amendment, No. 1, by the Minister.

ENACTING FORMULA

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, I move:

37. That at page 9, line 1, *for* the word "Fifty-second" the word "Fifty-third" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed.
The question was put and the motion was adopted."

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) in the Chair.]

I. THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (AMENDMENT) BILL, 2002.

AND

II. THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2002.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्य नारायण जटिया) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जातियां-अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2002 पर, जिसे लोक सभा ने 2 मई, 2002 को पारित कर दिया है, पर विचार किया जाए । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, 2002 लोक सभा 2 मई, 2002 को पारित कर चुकी है । पहले विधेयक का उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियों तथा

जनजातियों से संबंधित सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को ऐसे लाभ प्राप्त कराने में समर्थ बनाना है जो कि उनके पुनर्वास के राज्य अर्थात् गुजरात में अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति को प्राप्त है ।

दूसरे विधेयक में उड़ीसा राज्य से संबंधित अनुसूची में दो नई प्रविष्टियां, पंजाब राज्य की अनुसूची में एक नई प्रविष्टि और पश्चिम बंगाल की अनुसूची में एक नई प्रविष्टि करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त पंजाब तथा पश्चिम बंगाल राज्यों की अनुसूचियों में पर्याय के रूप में भी जातियों को सूची में शामिल करने का प्रस्ताव इस विधेयक में शामिल है । उड़ीसा के संदर्भ में दो प्रविष्टियों के निरसन का प्रस्ताव है। तात्पर्य यह है कि उन जातियों को - जो कि अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया के अनुसार ठीक पाई गई हैं - इन विधेयकों के द्वारा संबंधित अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि इन जातियों के लोगों को वे सब लाभ प्राप्त हो सकें जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल लोगों को प्राप्त होते हैं। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इन विधेयकों को पारित किया जाए।

The questions were proposed.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, देखने में तो यह विधेयक बहुत छोटा सा लगता है लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। इसलिए इस पर मुझे बोलना पड़ रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु): मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था।

श्री संघ प्रिय गौतम : 31 दिसम्बर, 1930 को गोलमेज कान्फ्रेंस में भाग लेते हुए बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय तत्कालीन डिप्रेस्ड क्लासेज - जिन्हें आज अनुसूचित जाति कहते है - का पक्ष प्रस्तुत किया था, और 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बनने जा रहा था उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन वर्गों को कुछ सुविधा मिले, इस प्रकार से अपनी बात की थी। उन्होंने उस समय यह कहा था कि ये अनुसूचित जातियों के लोग संख्या में कम हैं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं, समाज में बहुत नीचे हैं और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं इसलिए उनको सुविधाएं चाहिए। तदनुसार आरक्षण के रूप में 1935 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण की व्यवस्था की गयी और पहला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदेश 1936 में जारी किया गया। यह पहला आदेश नहीं है 1950 का, पहला आदेश 1936 में जारी हुआ। इसके बाद ही संविधान सभा बैठी और भारत के संविधान का निर्माण 1950 में हुआ। उसके बाद दूसरा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में जारी हुआ। जिस राज्य में जो जातियां अनुसूचित जाति की सूची में आती हैं वे उस आदेश में सूचीबद्ध कर दी गयीं और उस समय से अब तक कुछ जातियां नयी जोड़ी जाती रही हैं तथा कुछ निकाली जाती रही हैं, कुछ गलती से निकाली गयी हैं। इसी प्रक्रिया में आज यह विधेयक लाया गया है। लेकिन महोदय, 1931 तक जो जनगणना इस देश में हुई थी वह जाति के आधार पर हुई थी। उसके बाद जाति के आधार पर जनगणना बंद कर दी गयी और धर्म तथा मजहब के आधार पर जनगणना होती रही। अब पिछले दिनों से आजादी के बाद इकट्ठा, धर्म और मजहब तथा अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति के आधार पर जनगणना होती रही है। अभी 2001 में जो जनगणना हुई है वह भी इसी आधार पर हुई है। लेकिन यह जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची जारी होती है, आखिर उसका अभिप्राय क्या है। असली अभिप्राय यह है कि हमारे संविधान में जो इन जातियों के लिए सुविधाएं प्रदत्त की गयी हैं, उनका लाभ इनको पहुंचे और ये अनुसूचित जातियां कौन हैं, इसलिए उनको सूचीबद्ध करना बहुत आवश्यक है। मगर महोदय, केवल सूचीबद्ध करने से ये लाभ नहीं पहुंच जाएंगे। जटिया साहब, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। पहले तो आउटराइटली तीन जातियां आप इसमें जोड़ें, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। 1947 में बंगाल का जब बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो बड़ी संख्या में नमोशूद्र हमारे उत्तर प्रदेश में आए थे जो अनुसूचित जाति के कहलाते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे उत्तरांचल के ऊधमसिंह नगर जिले में तब से आज तक बसे हुए हैं और लाखों की संख्या में हैं। लेकिन अभी तक उनको अनुसूचित जाति की सूची में नहीं लाया गया है। इसलिए मेहरबानी करके आप उत्तरांचल के ऊधम सिंह नगर जिले में अन्यथा और जगहों पर बसे हुए उन नमोशूद्र जातियों के लोगों को अनुसूचित जाति में लाएं। ठीक इसी तरह से 1950 में उत्तर प्रदेश में जसवार जाति भी अनुसूचित जाति में शामिल थी, लेकिन किसी क्लैरीकल एरर से, कलम की गलती से वह जाति छूट गई और आज वह सूची में नहीं है । इस जसवार जाति को आप सूची में शामिल कर लें । महोदय, एक बहुत विशेष बात है, महाराष्ट्र में जब नागपुर में 14 अक्तूबर 1956 को बाबा साहेब डा. अंबेदकर ने धर्मांतरण किया, बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो उनके साथ लाखों लोगों ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था । उसके बाद ही उन्होंने अपने आपको 1961 की जनगणना में नव बुद्धिस्ट, नव बौद्ध लिखा और वे अनुसूचित जातियों की सूची से निकाल दिए गए और वहां पर उस समय 36 विधान सभा की सीटें आरक्षित थीं और 6 लोक सभा की सीटें आरक्षित थीं, लेकिन जब उस सूची से अनुसूचित जाति के लोग निकाल दिए गए और नव बौद्ध उनको लिख दिया गया तो उनकी संख्या उस सूची में कम हो गई और वहां पर लोक सभा की आरक्षित सीटें 6 से घट कर 3 रह गईं और विधान सभा की सीटें 36 से घट कर शायद 18 रह गईं । लेकिन इसी सदन में 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, एक संविधान संशोधन हुआ और यह कहा गया कि जो नव बौद्ध हैं वे भी अनुसूचित जाति के लोग माने जायेंगे और जिस तरह से सिख और जैन हमारे संविधान की धारा 25 में हिन्दुओं की श्रेणी में इस कारण से, इस हेतु गिने जाते हैं, बौद्ध भी उसी तरह से गिने जायेंगे और 1990 से ये सारी सुविधाएं अनुसूचित जातियों की इन लोगों को मिल रही हैं जो नव बौद्ध अपने को लिखते हैं और अपनी जाति लिखते हैं । लेकिन मंत्री महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उनको अनुसूचित जाति की सूची में दोबारा से सूचीबद्ध नहीं किया गया और बड़ा भारी नुकसान उनको तीन लोक सभा सीटों का और 13 विधान सभा सीटों का हो रहा है । इसलिए तुरंत आप उस संशोधन के अनुसार जो 1990 में धारा 25 में हुआ, वहां के नव बौद्धों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध करायें । महोदय, इस संबंध में मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों को सूचीबद्ध करने से इन्हें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले जो लाभ इनको मिलते थे वे तो सब वापस हो गए । सब से पहला लाभ इन्हें सरकारी नौकरियों का था और इन्हीं से इनका सिर ऊंचा उठा था । अब सरकारी नौकरियों पर नियुक्तियां बंद हो गई हैं और जो पुराने हैं, उनकी छंटनी हो रही है, नई भर्ती कोई हो नहीं रही है, तब इन्हें क्या लाभ मिलेगा ? बहुत से सरकारी संस्थान निजीकरण में जा रहे हैं और वहां पर आरक्षण पद्धति लागू नहीं है, जबकि बहुत से निजी संस्थान सरकारी बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं से

पैसा ले करके चलते हैं । सरकारी जमीन कौड़ियों के दामों में लेते हैं और सरकार से सहायता लेते हैं । तब तो यहां पर यह पद्धति लागू होनी चाहिए, लेकिन नहीं है । इसलिए उनको कोई लाभ पहुंच नहीं रहा है । पहले अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को अपने कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए, भैंसों के लिए, बैलों के लिए, घोड़ा-तांगे के लिए, बकरियों के लिए, जमीन के लिए और छोटे-मोटे कारीगरी, दस्तकारी के काम चलाने के लिए बैंकों से पैसा मिलता था, लेकिन अब सारे बैंक कमर्शियल बैंक हो गए हैं और कोई बैंक इनको पैसा देता नहीं है । इसलिए कोई लाभ भी इनको मिल नहीं रहा है । सरकार की जो स्पेशल कंपोनैंट प्लान की योजना है और आबादी के अनुसार इन अनुसूचित जातियों के लिए जो पैसा राज्यों को दिया जाता है वह इन पर खर्च नहीं होता है, वह दूसरी मद में खर्च होता है या फिर दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है । उस पैसे का भी कोई लाभ इनको पहुंच नहीं रहा है । हमारे देश में जो जमीन थी, जंगल, ऊसर, परती, कलर, नाले और जो चकबंदी से बची, हदबंदी से बची, जो समुद्र से कटी, जो पानी में डूबी इस तरह की करीब 40 हजार करोड़ एकड़ भूमि देश में पड़ी हुई है । वह जमीन भी इनको आवंटित नहीं होती, जबकि ज्यादातर ये खेतिहर मजदूर हैं । इसलिए जमीन इनको मिलती नहीं है । इसके अलावा मान्यवर, पहले जो मकान बनते थे, मैं धन्यवाद देता हूं कि अब यह योजना शुरू हुई है.....पहले इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकान बनते थे, ये मकान भी इन के लिए बनने बंद हो गए हैं और छोटे-मोटे काम जो ये गांवों में लोहार का, सुनार का, मोची का, बर्तन बनाने का, कुम्हार का कर लेते थे, वे काम भी गांवों में बंद हो गए और वहां इन को काम नहीं मिलता । इसलिए अब ये शहरों की ओर भाग रहे हैं । इस के अलावा आरक्षण का या संवैधानिक प्रावधानों का लाभ भी इन को नहीं पहुंच पा रहा है । मान्यवर, हम ने धारा 46 में कहा है कि, इन का एजुकेशनल और इकॉनोमिक एडवांसमेंट करेंगे जोकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है, लेकिन "चौबे जी गए थे छब्बे जी होने, दुबे जी रह गए ।" इसी तरह जो सरकारी शिक्षा थी, वह भी अर्थहीन हो गयी । आज देश में सैकड़ों, हजारों की संख्या में प्राइवेट इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजेज चल रहे हैं । ये प्राइवेट शिक्षा बड़ी कीमती है जिस कारण जितने पब्लिक स्कूल्स/कॉलेजेज हैं उन में अनुसूचित जातियों के बच्चों का दाखिला हो नहीं हो सकता । उन में दाखिला 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख देकर मिलता है । इस तरह इन की शिक्षा बिल्कुल बंद हो गयी है और अनुसूचित जाति, जनजाति का कोई बच्चा न इंजीनियर बन सकता है, न डॉक्टर बन सकता है । तो यह संविधान की धारा 46 कि हम इन का एजुकेशनल और इकॉनोमिक एडवांसमेंट करेंगे, बिल्कुल निरर्थक कर दी गयी है । मान्यवर, अब केवल एक चीज बाकी बची है विधान सभाओं व लोक सभा में आरक्षण जोकि 10 साल तक रहेगा, लेकिन आज उस में भी बेईमानी हो रही है । हमारे उत्तर प्रदेश में अवर्ण लोग शेड्यूल्ड कास्ट के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं । हम मना करते हैं तो हमारी पार्टी के नेता कहते हैं कि सर्टिफिकेट मौजूद है । यहां तक कि फर्जी सर्टिफिकेट लेकर लोग नौकरी कर रहे हैं क्योंकि जब सर्टिफिकेट है तो अनुसूचित जाति का माना ही जाएगा । हम गांव में रह रहे हैं, इसलिए यह देख रहे हैं । तो वे सीटें भी उन को नहीं मिल रही हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आप जरा धीरे बोलिए क्योंकि आप की आवाज टूट रही है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उपसभाध्यक्ष महोदय, फिर पहचानेगा कौन कि संघ प्रिय गौतम बोल रहे हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : अब उन को विधान सभाओं और लोक सभा में आरक्षण का लाभ भी पूरा नहीं मिल पा रहा है ।

मान्यवर, इन वर्गों के हित, विकास और कल्याण के लिए हमारे यहां तीन संगठन हैं - एक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग जिस की रिपोर्ट पहले हर वर्ष संसद में पेश होती थी और उस पर चर्चा व बहस होती थी । अब पिछले वर्षों से हम देख रहे हैं कि उस पर कोई बहस नहीं होती है । इस के अलावा यह अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग जो सिफारिशें करता है, वे भी बेमानी हैं क्योंकि वे सिफारिशें मानी नहीं जाती हैं । दूसरे, अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी संसदीय संयुक्त समिति है जिस में कि 30 सांसद होते हैं - 20 लोक सभा के और 10 राज्य सभा के । वह समिति भी हर वर्ष अपनी सिफारिशें व रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लेकिन उस की कोई रिकमंडेशन नहीं मानी जाती जिस से उस का कोई लाभ इन वर्गों को नहीं पहुंच रहा है । तीसरे, अनुसूचित जाति, जनजाति के सांसदों का एक संसदीय मंच है जिस में डेढ़ सौ सांसद हैं । संयोग से मैं उस का अध्यक्ष हूं, लेकिन एकाध सिफारिश को छोड़कर उस की सिफारिशें भी नहीं मानी जातीं और जो मानी जाती हैं, वह लागू नहीं होती । मान्यवर, तीन बार संविधान संशोधन हुआ, एक तो यह कि प्रोन्नति में आरक्षण जारी रहेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए आप कुछ कर रहे हैं ?

श्री संघ प्रिय गौतम : कर रहे हैं, वह भी बता देंगे । ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : संयोग है, इसलिए पूछ रहा हूं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर, संविधान की धारा 16.4.1. के तहत प्रोन्नति में आरक्षण हुआ है, लेकिन उसे लागू नहीं कर रहे हैं । इस के बाद एक संविधान संशोधन हुआ कि बैकलॉग की वैकेंसीज को पूरा किया जाएगा और उस के लिए विशेष नियुक्ति अभियान चालू होना चाहिए, लेकिन वह नहीं हो रहा है । तो वह लागू नहीं हो रहा । तीसरा यह है कि ज्येष्ठता उसी क्रम में निर्धारित की जाएगी, जो परमोट हो गए हैं वह डिमोट नहीं होंगे, वह भी लागू नहीं किया गया । तो क्या लाभ मिल रहा है ? ऐसी सूची तैयार करने से क्या फायदा, जब आप इन लोगों को कोई लाभ पहुंचा ही नहीं रहे हैं ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात न करके दलितों पर होने वाले अत्याचारों की बात करूंगा कि रोजाना इन वर्गों के लोगों पर कैसे अत्याचार, जुल्म हो रहे हैं । अभी तीन-चार दिन में कितनी घटनाएं घटी हैं, वह मैं आपको बताना चाहूंगा । मंत्री जी, आपके प्रदेश, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, वह भी सरपंच

महिला के साथ । बिहार के गोपालपुर जिला में अभी तीन-चार दिन पहले चार दलितों की हत्या की गई ।

प्रो. रामदेव भंडारी (बिहार): आपकी ही पार्टी के वर्कर उस हत्याकांड में थे । ....**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : आप बात को सुना करें । तुम्हारी बिरादरी के लोगों ने की है, यादवों ने की है । अभी चार दलितों की हत्या आपके पुरेना गांव, थाना मीरगंज, जिला गोपालगंज में की गई है । आप जिनकी तारीफ करते हो, मैं नाम नहीं लेता ....**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : गौतम जी, देखिए, जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, इस बात का उससे संबंध नहीं है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : सर, मैं एट्रोसिटीज ओन शेड्युल्ड कास्टस एंड शेड्युल्ड ट्राइब्ज का बता रहा हूँ ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : एट्रोसिटीज तो अलग बात है । जो ऑर्डर है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : बिल्कुल है, सर । अगर अनुसूचित जाति और जनजाति आपने लिख दिया और उस पर अत्याचार होते हैं तो उसके लिए कानून हैं - अनटचएब्लिटी ऑफेन्स एक्ट, ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : उस एक्ट पर हम यहां चर्चा नहीं कर रहे हैं । संविधान आदेश वाली बात पर चर्चा कर रहे हैं । ...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : सर, इससे संबंधित है । इन दलितों को किसने मारा ? बापू मियां के गिरोह ने, मुसलमानों ने मारा है, जिनकी तुम हिमायत करते हो । ....**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है । ....**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम :यादवों ने मारे हैं, जिसकी तुम वकालत करते हो । ....**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : गौतम जी, आप मुझे संबोधित करके बोलिए ।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं आपको ही देखकर बोल रहा हूँ, सर । . ..**(व्यवधान)**...

6.00 p.m.

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : इसमें आप मुस्लिम वाली बात बिल्कुल ही मत लाइए । यह बिल्कुल ही अलग बात है। ....**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : तो मैं यह कह रहा था कि इनके यहां कहते हैं - सूप बोले तो बोले, छलनी बोले तो हजारों छेद । सबसे ज्यादा दलित बिहार में मारे जा रहे हैं, लालू जी के यहां मारे जा रहे हैं और ये लोग मरवा रहे हैं । ....**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष महोदय, भुळो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गुजरात के अंदर पचास से ज्यादा दलित मारे गए हैं और उनको किसने मारा है, जिनकी यह वकालत करते हैं । ...**(व्यवधान)**... मेरे पास सारे आंकड़े हैं ।

प्रो0 रामदेव भंडारी: वहां हजारों लोग मारे जा रहे हैं, जो आप गुजरात की बात करते हो तो वहां मारने वाले आपके ही लोग हैं । ...**(व्यवधान)** ...

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को क्या करना चाहिए । मैं सरकार से यह निवेदन कर रहा हूँ ...**(व्यवधान)**... मंत्री जी, आप जरा ध्यान दें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : मंत्री जी, गौतम जी इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, आप उनकी ओर ध्यान दीजिए ।

श्री संघ प्रिय गौतम: नंबर एक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, शेड्युल्ड कास्टस और शेड्युल्ड ट्राइब्ज की संयुक्त संसदीय समिति, सांसदों का अनुसूचित जाति व जनजाति संसदीय मंच, इनकी जो भी सिफारिशें सरकार के पास आएं, सरकार को उन सबको स्वीकार करना चाहिए । नंबर दो, बैकलोग पूरा करने के लिए विशेष नियुक्ति अभियान चलाना चाहिए । नंबर तीन, आरक्षण पद्धति निजी संस्थानों में भी लागू होनी चाहिए । नंबर चार, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान और आर्थिक सहायता इन लोगों तक नहीं पहुंचती, जो इनके लिए निर्धारित है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर आफिस में एक अलग मोनेटरिंग सेल होना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री खुद करें ताकि इन योजनाओं का पूरा लाभ उन लोगों को मिल सके । नंबर पांच, एट्रोसिटीज रोकने के लिए जो प्रिवेंशन आफ शेड्युल्ड कास्टस एंड शेड्युल्ड ट्राइब्ज एट्रोसिटीज एक्ट, 1989 है, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए । इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में कुछ ऐसे काम कॉटेज इंडस्ट्रीज में, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में उनको मिलना चाहिएं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : गौतम जी, एक मिनट रुक जाइए । 6:00 बज गए हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदय, मैं एक-दो मिनट में खत्म कर दूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : ठीक है, इनके भाषण को खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हाऊस ऐडजार्न कर देंगे क्योंकि कुल मिलाकर 16 स्पीकर्स हैं । ये दो मिनट में खत्म कर देंगे, इनका टाइम भी समाप्त होने जा रहा है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर, मैं तमाम राजनीतिक दलों से और सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं कि इन गरीबों को और तो कुछ मिला नहीं, समाज में इनका माथा ऊंचा हो जाए, इन्हें मान-सम्मान मिले इसके लिए एक नेक काम यहां के राजनीतिक दलों ने किया था कि एक दलित को राष्ट्रपति बनाया था, इसलिए मेरा कहना है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से किसी एक पद पर किसी दलित को चुना जाए । धन्यवाद ।

प्रो. रामदेव भंडारी : मान्यवर, बी.जे.पी. इन पर ऐट्रोसिटी कर रही है, इन्हें मंत्री नहीं बना रही है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : नहीं, नहीं । आप बैठिए, आपका नाम लिखा हुआ है, आपका जब टाइम आएगा, आप तब बोलिएगा । The House is adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House, then, adjourned at one minute past six of the clock, till eleven of the clock on Friday, 10th May, 2002.

MGIPMRND--2951RS—9-7-2003.